



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 22.06.2025

थाना अफजलगढ पुलिस ने 02 अभियुक्तों को अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण-

जनपद में अवैध शराब की बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों 1.पप्पू पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम चंपतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 2.दीपक पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रामपुर घोखर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को प्लास्टिक को जरीकैन में कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर आबकारी अधिनियम की धाराओं में मु0अ0सं0 194/25 बनाम पप्पू उपरोक्त व मु0अ0सं0 195/25 बनाम दीपक उपरोक्त पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1.पप्पू पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम चंपतपुर चकला थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 2.दीपक पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रामपुर घोखर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ।

बरामदगी विवरण-

दोनों अभियुक्तों से कुल 80 लीटर कच्ची शराब

अभियुक्त पप्पू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 01/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 52/2017 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 73/2018 धारा 60/62 आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 23/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 254/2019 धारा 60 (1)आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 157/2021 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 194/2025 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

अभियुक्त दीपक का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 195/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 सुमित राठी थानाध्यक्ष, थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी विकास बाबू थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी सोनू थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 4.आरक्षी आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 5.आरक्षी कृष्ण राणा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 22.06.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 150/25 धारा 191(2)/190/109(1)/352/118(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.06.2025 वादी श्री हेमेन्द्र राजपूत पुत्र सागर सिंह निवासी ग्राम औरंगपुर फत्ता थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादी के पुत्रों द्वारा सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़े करने को लेकर अभियुक्तगण 1.शहबाज पुत्र अय्यूब 2.अकरम पुत्र वसीर 3.फिरोज पुत्र मेहंदी 4.कौसर पुत्र जमीर 5.अनु पुत्र मुन्ने 6.मुकीम व कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर गाली गलौच करते हुए वादी के पुत्र सावन व परीक्षित पर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे व धारदार हथियार से वार किया। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 150/25 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त महफूज पुत्र महबूब अहमद निवासी ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 118(1) बीएनएस की वृद्धि की गई।



कार्यवाही:-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुकीम पुत्र तहसीन निवासी ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित शहबाज पुत्र अय्यूब, फिरोज पुत्र मेहंदी व महफूज पुत्र महबूब उपरोक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुकीम पुत्र तहसीन निवासी ग्राम भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.थानाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 गौरव मलिक थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 3.मुख्य आरक्षी जितेश कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 4.आरक्षी बिट्टू थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 22.06.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 215/25 धारा 65(1) बीएनएस, धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 67(ए) आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.06.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त योगेश शर्मा पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम मोरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत कार्य किया गया तथा फोटो खींचकर उन्हें वायरल कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 215/25 धारा 65(1) बीएनएस, धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 67(ए) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही विवरण:-

थाना नूरपुर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त योगेश शर्मा उर्फ योगेश कुमार तिवारी पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम मोरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को एक मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

योगेश शर्मा उर्फ योगेश कुमार तिवारी पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम मोरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

एक मोबाईल फोन एड्रायिड सैमसंग गैलक्सी F55 5G

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 2.आरक्षी बोबी कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी अर्जुन सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।